

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 1195/2015

संस्थापित दिनांक 10/12/2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—  
गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

- विष्णु बाथम पुत्र भगवानदास उम्र 50 वर्ष  
निवासी— वार्ड क्र0 2 गोहद जिला भिण्ड

..... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 294, 327, 506 भाग—2 भा0द0सं0)  
(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य।)  
(आरोपीगण द्वारा अधिवक्ता— श्री अशोक पचौरी।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 23.05.2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 27.07.2015 को 22:30 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने एवं उसी समय फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर से सम्पत्ति उद्दापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित करने हेतु भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग—2 एवं 327 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 27.07.2015 को रात्रि साढ़े 10 बजे फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर गोलम्बर तिराहा गोहद में आईसक्रीम खा रहा था उसी समय आरोपी विष्णु आया था और उसने फरियादी शैलेन्द्र तोमर से आईसक्रीम खाने के लिए पैसे मांगे थे, फरियादी ने आरोपी विष्णु से कहा था कि वह उतने ही पैसे लाया था और उसने आईसक्रीम खा ली है अब उसके पास पैसे नहीं हैं तो इसी बात पर आरोपी ने उसे गाली दी थी और आरोपी उसकी मारपीट करने लगा था। आरोपी ने फरियादी की गर्दन मसक कर उसका सीधा वाला कान दांतों से काट लिया था जिससे उसके कान से खून निकलने लगा था मौके पर उसे सतेन्द्र पाल एवं गोपाल ने बचाया था आरोपी ने जाते समय जान से

मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना गोहद में अपराध क्र० 236/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

4. द०प्र०सं० की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.07.2015 को 22:30 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपी ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभिप्रास कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर से सम्पत्ति उद्दापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वचेष्टया उपहति कारित की ?

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी सतेन्द्र अ०सा० 1, फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ०सा० 2, डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 3, साक्षी गोपाल शर्मा अ०सा० 4 एवं ए०एस०आई० हिम्मत सिंह भदौरिया अ०सा० 5 को परीक्षित कराया गया है। जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

#### निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

7. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ०सा० 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना दिनांक 27.05.2015 की रात्रि के करीबन साढ़े दस बजे की है। वह गोलम्बर पर आईसक्रीम खा रहा था उसी समय आरोपी विष्णु आया था आरोपी विष्णु ने उससे कहा था कि वह आईसक्रीम खायेगा तो उसने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं, इसी बात पर आरोपी ने उसे गाली दी थी और उसकी मारपीट करने लगा था। आरोपी ने उसकी गर्दन दबा दी थी और उसके सीधे में मुंह से काट लिया था जिससे खून आ गया था, मौके पर सतेन्द्र व गोपाल ने आकर बीच बचाव किया था आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी

जो प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

9. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी का कहना है कि झगड़ा रात करीबन साढ़े दस बजे हुआ था एवं यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी ने उससे पैसे की मांग नहीं की थी तथा यह स्पष्ट किया है कि आरोपी ने आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था। वह आरोपी को पहले से नहीं जानता था। आरोपी का नाम उसे गोपाल ने बताया था तथा उसने गोपाल के बताने पर रिपोर्ट प्र0पी0 2 में आरोपी का नाम लिखा दिया था। पद क्र0 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि मौके पर विवाद गालियां देने से मना करने पर हुआ था।

10. साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है उसने कोई झगड़ा नहीं देखा था उसे शैलू ने बताया था कि झगड़ा हुआ था उसने कहा था कि गाड़ी पर बैठो तो वह थाने चला गया था एवं उसने शैलू के कहने से हस्ताक्षर कर दिये थे। शैलू ने किसी से झगड़ा होना बताया था, किससे झगड़ा होना बताया था वह नहीं बता सकता है। इसके अतिरिक्त उसे अन्य कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने शैलेन्द्र तोमर की लात घूंसे से मारपीट की थी एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने एवं गोपाल ने झगड़े का बीच बचाव किया था।

11. साक्षी गोपाल शर्मा अ0सा0 4 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसके न्यायालयीन कथन से लगभग छेह साल पहले वह अपने ठेले पर आईसक्रीम बेच रहा था एवं शैलू आईसक्रीम खा रहा था तभी विष्णु एवं उसका साथी ठेले पर आये थे और शैलू से बोले थे कि मुझे भी आईसक्रीम खिलाओं तो शैलू ने कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं इसी बात पर उन लोगों में कहा सुनी हो गई थी। दोनों ही पक्ष आपस में गाली गलौच करने लगे थे, लड़ने लगे थे, उसने दोनों का बीच बचाव कराया था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि विष्णु ने शैलेन्द्र की ताल घूंसे से मारपीट की थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि विष्णु मां बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहा था तथा जान से मारने की धमकी दे रहा था। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी द्वारा घटना कारित नहीं की गई थी एवं यह भी स्वीकार किया है कि झगड़ा करने वाला व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है एवं यह भी व्यक्त किया है कि उसने तो केवल मुंहबाद सुना था, मारपीट नहीं देखी थी।

12. डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 27.07.2015 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में थाना गोहद के आरक्षक कमलेश शर्मा द्वारा लाये जाने पर आहत शैलेन्द्र सिंह का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने शैलेन्द्र सिंह के दाये कान के नीचे फटा हुआ घाव पाया था घाव से खून बह रहा था उसके मतानुसार उक्त चोट कड़ी एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित थी जो उसकी परीक्षण अवधि के पूर्व छः घंटे के अंदर की थी उसकी चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि आहत के कान में एक ही तरफ चोट थी तथा उक्त चोट दांत के काटने से आना संभव नहीं है।

13. ए0एस0आई0 हिम्मत सिंह भदौरिया अ0सा0 5 ने प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है।

14. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभासी रहे हैं, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह रात को गोलम्बर पर आईसक्रीम खा रहा था तो आरोपी विष्णु ने वहां आकर उससे आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था तथा यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी ने उससे पैसों की मांग नहीं की थी तथा व्यक्त किया है कि आरोपी ने उससे आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था। इस प्रकार फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने उससे पैसों की मांग नहीं की थी बल्कि उससे आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था जबकि प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी द्वारा आईसक्रीम खाने के लिए पैसे मांगने का उल्लेख है जबकि फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर ने न्यायालय के समक्ष यह बताया है कि आरोपी ने उससे पैसे नहीं मांगे थे, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 के कथन प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से विरोधाभासी रहे हैं उक्त विरोधाभाष अत्यंत तात्त्विक है जो कि अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

16. फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह भी बताया है कि जब उसने आरोपी को आईसक्रीम खिलाने से मना किया था और कहा था कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो आरोपी ने उसकी मारपीट की थी, आरोपी ने उसकी गर्दन दबा दी थी और उसके सीधे कान को मुंह से काट लिया था इस प्रकार फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 द्वारा यह बताया बताया गया है कि जब उसने आरोपी को आईसक्रीम खिलाने से मना किया था तो आरोपी ने उसकी मारपीट की थी परन्तु प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं है कि आरोपी ने फरियादी से आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था। फरियादी द्वारा यह भी वर्णित किया गया है कि आरोपी ने उसकी गर्दन दबा दी थी और उसके सीधे कान में दांतों से काट लिया था परन्तु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 4 में फरियादी की गर्दन पर कोई चोट होना वर्णित नहीं है इसके अतिरिक्त फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 ने यह बताया है कि आरोपी ने उसके सीधे कान में दांतों से काट लिया था परन्तु चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 4 में फरियादी के कान में आई चोट दांतों से काटने से आना लेख नहीं है। डॉ0 आलोक शर्मा द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर के कान की चोट सख्त एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित है तथा यह भी व्यक्त किया है कि उक्त चोट दांत के काटने से आना संभव नहीं है।

17. इस प्रकार फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आरोपी ने उसके कान में दांतों से काट लिया था परन्तु उक्त कथन की पुष्टि चिकित्सकीय रिपोर्ट से नहीं हो रही है। चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पी0 4 में फरियादी के कान में आई चोट दांतों के काटने से आना वर्णित नहीं है एवं डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 ने फरियादी के कान की चोट दांतों के काटने से न आना बताया है। इस प्रकार फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 का कथन डॉ0 आलोक शर्मा अ0सा0 3 के



कथन से भी विरोधाभासी रहा है। फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर के कथन की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में यह संदेहास्पद हो जाता है कि आरोपी द्वारा फरियादी की मारपीट की गई थी उक्त तथ्य अत्यंत तात्विक है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन घटना की संदेहास्पद हो जाती है।

18. फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि आरोपी ने उससे आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था एवं न खिलाने पर उसकी मारपीट की थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि मौके पर विवाद गालियां देने से मना करने पर हुआ था। फरियादी के उक्त कथन से यही प्रकट होता है कि आरोपी ने उसकी मारपीट नहीं की थी। यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

19. जहां तक साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 1 एवं गोपाल शर्मा अ0सा0 4 के कथन का प्रश्न है तो सतेन्द्र अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है उसने स्वयं कोई झगड़ा नहीं देखा था उसे तो फरियादी शैलू ने झगड़े के बारे में बताया था, उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी ने शैलेन्द्र से आईसक्रीम के लिए पैसे मांगे थे और न देने पर आरोपी ने शैलेन्द्र की लात घूंसे से मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस प्रकार सतेन्द्र अ0सा0 1 द्वारा भी फरियादी शैलेन्द्र अ0सा0 2 के कथन का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके सामने फरियादी शैलेन्द्र की मारपीट की थी।

20. साक्षी गोपाल शर्मा अ0सा0 4 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी शैलू उसके ठेले पर आईसक्रीम खा रहा था तो विष्णु और उसके एक साथी ने ने ठेले पर आकर शैलू से आईसक्रीम खिलाने के लिए कहा था शैलू ने आईसक्रीम खिलाने के लिए मना किया था तो उन लोगों में कहा सुनी हो गई थी। दोनों पक्ष गाली गलौच करने लगे थे एवं उसने दोनों का बीच बचाव किया था। जब उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किया गया तो उक्त साक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी ने शैलेन्द्र की लात घूंसे से मारपीट की थी परन्तु प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 3 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी द्वारा घटना कारित नहीं की गई थी उसने केवल मुंहबाद सुना था, मारपीट होते हुए नहीं देखी थी। इस प्रकार गोपाल शर्मा अ0सा0 4 के कथनों से यह दर्शित है कि गोपाल शर्मा अ0सा0 4 के कथन अपने परीक्षण के दौरान अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। उक्त साक्षी अपने परीक्षण के दौरान अपने कथनों में स्थिर नहीं रहा है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी विष्णु द्वारा घटना कारित नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के कथनों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है।

21. फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि मौके पर सतेन्द्र व गोपाल ने आकर बीच बचाव किया था परन्तु साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 1 एवं गोपाल अ0सा0 4 द्वारा भी फरियादी के कथनों का समर्थन नहीं किया गया है, यह तथ्य भी अभियोजन घटना को संदेहास्पद बना देता है।

22. समग्र अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण में फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 के कथन अपने परीक्षण के दौरान तात्त्विक बिन्दुओं पर अत्यंत विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 के कथन तात्त्विक बिन्दुओं पर प्र0पी0 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी विरोधाभासी रहे हैं। साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 1 एवं गोपाल अ0सा0 4 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर अ0सा0 2 के कथन साक्षी सतेन्द्र अ0सा0 1 एवं साक्षी गोपाल अ0सा0 4 के कथन से भी विरोधाभासी रहे हैं। फरियादी के कथनों की पुष्टि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में जबकि फरियादी के कथन चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट नहीं है फरियादी की एकल असम्पुष्ट साक्ष्य के आधार पर अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

23. संदेह कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।

24. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 27.07.2015 को 22:30 बजे गोलम्बर तिराहा गोहद में सार्वजनिक स्थल पर फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया एवं उसी समय फरियादी शैलेन्द्र सिंह तोमर से सम्पत्ति उद्दापित करने के प्रयोजन से उसकी मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी विष्णु बाथम को संदेह का लाभ देते हुए उसे भा0द0सं0 की धारा 294, 506 भाग-2 एवं 327 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

25. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

26. प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक – 23/05/2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र  
क उपयोग